

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/ 1132 जयपुर,दिनांक: 11/03/16

:: आदेश ::

श्री नरहरि शर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी के रूप में पंचायत समिति सुवाणा (भीलवाडा) में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 09.01.2016 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 09.01.2016 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारी के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शंकर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को उनके पत्रांक 5034 दिनांक 29.02.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि उक्त संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है।
3. विकास अधिकारी, पं.स. सुवाणा (भीलवाडा)
4. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त